



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी  
प्रेस-नोट

दिनांक:-30-04-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त विष्णु जयसवाल व उर्मिला देवी को खुदखुशी के लिए उकसाने के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 05 वर्ष की सजा व कुल- 20000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-आदमपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 229/2018 धारा-306 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त/अभियुक्ता विष्णु जयसवाल व उर्मिला देवी निवासीगण तेलियाना आदमपुर को थाना-आदमपुर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 30-04-2025 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा- 306 भादवि में 05 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 10000-10000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 02-02 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी  
कमिश्नरेट-वाराणसी